2024/253

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2024 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती भगवती पुत्री मोहनलाल रावल, निवासी आसन, नियाला, पत्नी अमृत हाल निवासी नारायण जी का बीडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन रावल पिता मेगा रावल जाति रावल निवासी आसन, नियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.) मृतक के बजाय :–
   1/1. श्रीमती सोहनी देवी बेवा मोहन रावल निवासी आसन, नियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती कमला पत्नी पारस रावल, जाति रावल, निवासी कुशलपुरा, चोगिया, तहसील भीम जिला राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती जशोदा पत्नी भेरूलाल रावल, निवासी खोलेडा, आसन, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती लीला पत्नी प्रेमनाथ रावल, निवासी लसानी, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कौशल्या पत्नी प्रताप रावल, निवासी आऊआ, तहसील मारवाड, जेंक्शन, जिला पाली (राज.)
6. चन्द्रप्रकाश पिता पारस रावल, निवासी कालागुन, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. नरेन्द्र रावल पिता पारस रावल, निवासी कालागुन, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती हेमलता पिता पारस निवासी कालागुन, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती रेखा रावल पिता पारस रावल, निवासी कालागुन, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
10. प्रताप वन पिता देवा वन, जाति रावल, निवासी आसन, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोडेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
दिनांक 07.08.2024 प्रकरण संख्या
113/2023 प्रार्थना पत्र

---:---

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी

---:---

निर्णय **दिनांक 26–12–2025**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालागुन पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीया की पैतृक एवं पुस्तेनी आराजी नम्बर 817 रकबा 3.7800 कृषि भूमि स्थित है, जो प्रार्थीया के दादा के नाम होकर प्रार्थीया के पिता को विरासत से प्राप्त हुई। प्रार्थीया का उक्त पैतृक भूमि हक व अधिकार निहित है, परन्तु विपक्षीगण उक्त भूमि विक्रय करने पर उतारु है, जबकि उक्त भूमि का अभी विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.10.2023 को प्रकरण में एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 07.08.2024 को उक्त जारी निषेधाज्ञा निरस्त कर दी, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि विवादित भूमि मौरूसी भूमि है, जिसमें अपीलान्ट का जन्म से हक व अधिकार निहित है। प्रकरण में अभी तक शहादत शुरू नही हुई है तथा जायदाद मौरूसी है, इस बात को रेस्पोडेन्ट भी इनकार नही कर सकता। अपीलान्ट मोहन की लड़की है, इस संबंध में इसके द्वारा स्कूल का सर्टिफिकेट तथा विवाह प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिनमें अपीलान्ट के पिता का नाम मोहन रावल दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मोहन की पुत्री होना स्पष्ट है। मौरूसी जायदाद में लड़कियों को लड़कों के समान ही हक अधिकार प्राप्त होते है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजर अन्दाज करते हुये उक्त आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.08.2024 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद बहाल रखा जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

5. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पैतृक बताते हुए उसने अपना हिस्सा होने का दावा किया है साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय किया है, जिसके आधार पर जमाबंदी में भी क्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 प्रताप वन का नाम अंकित हो चुका है तथा वह रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रश्न यहां यह है कि क्या रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। धारा 212 में निम्न तीन बिंदुओं को देखा जाता है :–

1. Prima facie case i.e. existance of a right and infringement of that right.
2. The possibility or irreparable injury and protection from that injury is necessary from the court.
3. The balance of convenience is in his favour i.e. substantial mischief will be done if it is refused.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का दावा पैतृक भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों का है। रेस्पोडेन्ट रिकॉर्डेड खातेदार है। यदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं की जाती है तो अपीलान्ट को क्या क्षति होगी, यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है, जबकि रेस्पोडेन्ट जो कि रिकॉर्डेड खातेदार है, उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित होगें। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खाते के विरूद्व किसी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 07.08.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested